रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5, 2008/आषाढ़ 14, 1930

No. 109] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 2008/ASADHA 14, 1930

15-7-2008

36

P-O-105
K-M-17
Deptt 15
~~विभाग 5~~
CPB-68

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 जून, 2008

सं. फा. 51-1/2007/राअशिप (मा तथा मा).—भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4 में संख्या 231 के रूप में 10 दिसंबर, 2007 को प्रकाशित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधियां) विनियम, 2007 के हिंदी रूपांतरण में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न शुद्धिपत्र एतद्द्वारा जारी किए जाते हैं :–

1. शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी. एड.) से संबंधित माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानकों (परिशिष्ट-4) के अधीन पात्रता से संबंधित पैरा 3.2.1 (पृष्ठ 36 हिंदी पाठ) के स्थान पर निम्न पढ़ा जाए :

   3.2.1 कार्यक्रम में दाखिले के लिए स्नातक की डिग्री तथा/अथवा मास्टर की डिग्री अथवा उसके समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे ।

2. शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी. एड.) से संबंधित माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानकों (परिशिष्ट-4) के अधीन सेवा की शर्तें और उपबंध से संबंधित पैरा 4.4(घ) (पृष्ठ 39 हिंदी पाठ) के स्थान पर निम्न पढ़ा जाए :

   4.4(घ) संस्थानों के शैक्षणिक स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को यूजीसी/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतनमान में इस वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा । सहायक स्टाफ को यूजीसी/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के वेतनमान ढांचे के अनुसार भुगतान किया जाएगा ।

3. एम. एड. (मास्टर आफ एजूकेशन) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानकों (परिशिष्ट-5) के अधीन सेवा की शर्तें और उपबंध से संबंधित पैरा 4.4(घ) (पृष्ठ 44 हिंदी पाठ) के स्थान पर निम्न पढ़ा जाए :

   4.4(घ) संस्थानों के शैक्षणिक स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को यूजीसी/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतनमान में इस वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा । सहायक स्टाफ को यूजीसी/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के वेतनमान ढांचे के अनुसार भुगतान किया जाएगा ।

4. शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानकों (परिशिष्ट-8) के अधीन सेवा की शर्तें और उपबंध से संबंधित पैरा 4.2(घ) (पृष्ठ 59 हिंदी पाठ) के स्थान पर निम्न पढ़ा जाए :

   4.2(घ) संस्थानों के अंशकालिक स्टाफ सहित शैक्षणिक और अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा ।

5. शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानकों (परिशिष्ट-9) के अधीन सेवा की शर्तें और उपबंध से संबंधित पैरा 4.2(घ) (पृष्ठ 68 हिंदी पाठ) के स्थान पर निम्न पढ़ा जाए :

   4.2(घ) संस्थानों के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा ।

हसीब अहमद, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/131/08-असा.]

2544 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Attested

25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

957